



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938

No. 99]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2017

**सा.का.नि. 122(अ).—** औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप बनाने का प्रस्ताव है जिसे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित की जाती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय (औद्योगिक नीति विधिक अनुभाग), श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

## प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2017 है।

2. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की अनुसूची की मद 1 में, अंत में आने वाले "परिधान परिनिर्माण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार" शब्दों के पश्चात् ", मेड-अप सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में, --

(क) नियम 5 में, मद (6क) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

“(6ख) मेड-अप सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार की संख्या;”;

(ख) अनुसूची 1 में,--

(i) पैरा 2 में,--

(क) उप पैरा (क) में, मद (3क) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

“(3ख) मेड-अप सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार” ।

(ख) उप पैरा (ज) में, “परिधान परिनिर्माण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार” शब्दों के पश्चात् “या मेड-अप सेक्टर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) पैरा 13 के उप पैरा (2) में “परिधान परिनिर्माण सेक्टर में अवधि नियोजन कर्मकार” शब्दों के पश्चात् “या मेड-अप सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं. एस-13025/24/2016-आईआर (पीएल)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक एलआर 11(37), तारीख 18 दिसंबर, 1946 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उसमें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा. का. नि. 976(अ), द्वारा तारीख 7 अक्तूबर, 2016 द्वारा संशोधन किए गए थे ।

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2017

**G.S.R. 122(E).**— The following draft of certain rules further to amend the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken up for consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment (Industrial Relations Policy Legal Section), Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period from the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall be considered by the Central Government.

**Draft rules**

1. These rules may be called the Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment) Rules, 2017.
2. In the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), in Schedule, in item 1, after the words “fixed term employment workmen in apparel manufacturing sector”, occurring at the end, the words “, fixed term employment workmen in the made-up sector” shall be inserted.
3. In the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946,-
  - (a) in rule 5, after item (6A) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely:-  
“(6B) Number of fixed term employment workmen in the made-up sector;”;
  - (b) in Schedule 1,-
    - (i) in paragraph 2,-
      - (A) in sub-paragraph (a), after item (3A) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely:-  
“(3B) fixed term employment workmen in the made-up sector”.
      - (B) in sub-paragraph (h), after the words “fixed term employment workman in apparel manufacturing sector” the words “or made-up sector” shall be inserted.
    - (ii) in paragraph 13, in sub-paragraph (2), after the words “fixed term employment workman in apparel manufacturing sector” the words “or fixed term employment workman in the made-up sector” shall be inserted.

[F. No. S-13025/24/2016-IR(PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number LR 11 (37), dated the 18<sup>th</sup> December, 1946 and were lastly amended by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 976(E), dated the 7<sup>th</sup> October, 2016.